संख्या- 4/2025/I/920497/2025/46-2/276/2025

प्रेषक,

सी. इन्दुमती,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2025**

विषय:- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., की चीनी मिलों को पेराई सत्र 2024-25 में अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कतिपय मदों में कम पड़ रही धनराशियों का पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-229/लेखा-बजट/2024-25, दिनांक 21.03.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-024 के लेखा शीर्षक "6860", सहकारी चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं तकनीकी अपग्रेडेशन आदि कार्यों हेतु ऋण के रूप में विभिन्न मदों में उपलब्ध धनराशि रू.36004.00 लाख में घटित होने वाली बचतों में से लेखा शीर्षक **6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज 04–चीनी 101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज 03-उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज 30-निवेश/ऋण** में रू.36004.00 लाख संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग की अनुमति सहित व्यय करने की निम्नलिखित नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं दिनांक 19.06.2024 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बचत की धनराशि प्रशासनिक विभग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(3) जिस मद से पुनर्वियोग किया जा रहा है उक्त मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(6) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये चीनी आयुक्त/विभाग उत्तरदायी होंगे।

(7) ऋण की ब्याज सहित अदायगी ऋण आहरण की तिथि से 10 वर्ष में की जाएगी। मूलधन एवं ब्याज की पहली किस्त ऋण आहरण के प्रथम वर्षगाँठ की तिथि होगी। अग्रतर किस्तों की अदायगी इसी प्रकार 01 वर्ष की समाप्ति पर पड़ने पर वर्षगाँठ तिथि को की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) ब्याज की दर अन्तिम रूप से 14 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा नियमित भुगतान किये जाने की दशा में 2.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी तथा प्रभावी ब्याज दर 11.50 प्रतिशत होगी।

(9) मूलधन/ब्याज अदायगी में व्यवधान होने पर 2.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य नहीं होगी। दण्डात्मक ब्याज दर अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक लागू रहेगी।

(10) प्रशासकीय विभाग द्वारा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

(12) संघ द्वारा ऋण की किस्तों का भुगतान किया जाए या उनके द्वारा ब्याज जमा किया जाये, महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजें :-

(i) कोषागार का नाम-

(ii) चालान संख्या तथा दिनांक-

(iii) जमा धनराशि किस्त ब्याज

(iv) लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किस्त ब्याज

(v) शासनादेश संख्या और एस.एल.आर. का सन्दर्भ

(vi) पिछले जमा का सन्दर्भ

(13) चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

(14) भविष्य में शासन द्वारा स्वीकृत ऋण तभी अवमुक्त किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया गया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करके शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण-वितरण तथा धनराशि के उपयोग की पूर्ण सूचना, बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित, शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

(16) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट-शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

(17) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी को निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(18) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(19) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(20) उक्त के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेशों में जिन चीनी मिलों को शासन द्वारा प्रदत्त ऋण से भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें किये गये पुनर्विनियोग द्वारा निर्गत की जा रही धनराशि से इस बार भी भुगतान नहीं किया जायेगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखा शीर्षक "6860", सहकारी चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं तकनीकी अपग्रेडेशन आदि कार्यों हेतु ऋण के रूप में विभिन्न मदों में उपलब्ध धनराशि रू.36004.00 लाख में घटित होने वाली बचतों को पुनर्विनियोजित करते हुए लेखा शीर्षक **6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज 04 –चीनी 101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज 03-उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज 30-निवेश/ऋण आदि के अन्तर्गत व्यय** रू.36004.00 लाख (रूपये तीन अरब साठ करोड़ चार लाख मात्र) संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 (भाग-1) में उल्लिखित मानक मद के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न आर.ई. संख्या-बजट-1-804/2024-2025, दिनांक 27 मार्च, **2025** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं दिनांक 19.06.2024 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

सी. इन्दुमती

विशेष सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
4. आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय, आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र., लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

नूतन अग्निहोत्री

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।